



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 04/2021



सरकार बनाम

जयसिंह पुत्र श्री विजयकुमार,  
मै0 फ्रैण्डस होटल,  
मीरा चौक के पास,  
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा6 ए राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपरिथत:

1. विभागीय पैरोकार स्टेट की ओर से
2. गैरसायल के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही.

॥ निर्णय ॥

दिनांक : 08-12-2021

1. गैरसायल के खिलाफ श्री सुरेशकुमार, प्रवर्तन अधिकारी(अभि0) कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत परिवाद प्रस्तुत किया है जिसके सक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2021 को घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय व श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से मै0 फ्रैण्डस होटल, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर पर अवैध अनुदानित गैस सिलेण्डर के उपभोग की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई। मौके पर गैरसायल उपस्थित मिला जिसके द्वारा स्वयं को होटल का मालिक होना बताया गया। गैरसायल की उपस्थिति में होटल का निरीक्षण किया गया। मौके पर खाना/नमकीन बनाने व उसका उपभोक्ताओं में विक्रय करने का कार्य किया जाता है व साथ ही सिलेण्डर मौके पर चालू हालत में मिला। वक्त जांच मौके पर 01 एचपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर. 631411) बरामद किये गये। होटल मालिक ने मौके से जब्त गैस सिलेण्डर के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व न ही सिलेण्डर की कोई ब्ल्यू बुक मौके पर पेश की गयी। मौके पर कोई भी वैद्य अनुज्ञापत्र/परिमिट/लाईसेंस भी पेश नहीं किया गया। उक्त व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर मिले 01 घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर ईशान नागपाल पुत्र श्री राजपाल नागपाल मै0 राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिये गये।

2. बाद जांच प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि गैरसायल द्वारा बिना किसी बैद्य अनुज्ञापत्र के घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कृत्य कर

LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000, 3(1)(B),(C), 7(1)(C) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जब्तशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमावे।

3. परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जवाब व साक्ष्य पेश करने हेतु तलब किया गया। गैरसायल पर नोटिस की विधिवत् तामील होने के बाद गैरसायल नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

4. विभागीय पैरोकार को सुना गया उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि गैर सायल द्वारा बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग संबंधी कार्य करके उक्त आदेशों की उल्लंघना की है। अतः जब्त शुदा गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

5. राज पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि फर्द मौका जांच व जब्ती कार्यवाही दिनांक 21.08.2021 जिस पर गैरसायल के हस्ताक्षर हैं, के अनुसार मौके पर 01 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग होता पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर भट्टी/चूल्हे/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये। गैरसायल द्वारा मौके पर कोई भी वैद्य अनुज्ञापत्र/परिमिट/लाईसेंस पेश नहीं किया गया।

7. उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर पाया गया कि गैरसायल घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कृत्य कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000, 3(1)(B),(C), 7(1)(C) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जब्तशुदा 01 एचपीसी के घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर. 631411) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

8. निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

9. आदेश आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमल अरारिया)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)  
श्री गंगानगर